



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या - 400-अ0प्र0-07/पाकालि/15-16-अ0प्र0-07/14

दिनांक 07.02.2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (जानपद) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम गृह जनपद/जन्मतिथि/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पश्चात् तैनाती /आवंटन इकाई	अभिज्ञान संख्या
1	श्री मोहन तिवारी पुत्र श्री एम0 तिवारी/ गोरखपुर/03.09.1956/(363/79-80)	वि0 पो0 नि0 जा0 खं0, वाराणसी	उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0	201501
2	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता पुत्र श्री बी0 गुप्ता/ बौदा/02.12.56/(364/79-80)	वि0 जानपद पार्षण मण्डल, इलाहाबाद	उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0	201502
3	मो0 कलीम अंसारी पुत्र श्री एच0 जे0 अंसारी/गोरखपुर/15.02.57/(365/79-80)	वि0 जानपद पार्षण खण्ड, गोरखपुर	उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0	201503
4	श्री होत्रराज सिंह पुत्र श्री जे0.एस0 पाल/ आगरा/01.07.56/(367/79-80)	वि0 जानपद पार्षण खण्ड, अलीगढ़	उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0	201504

सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
- (ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
2. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
3. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
4. आवंटित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

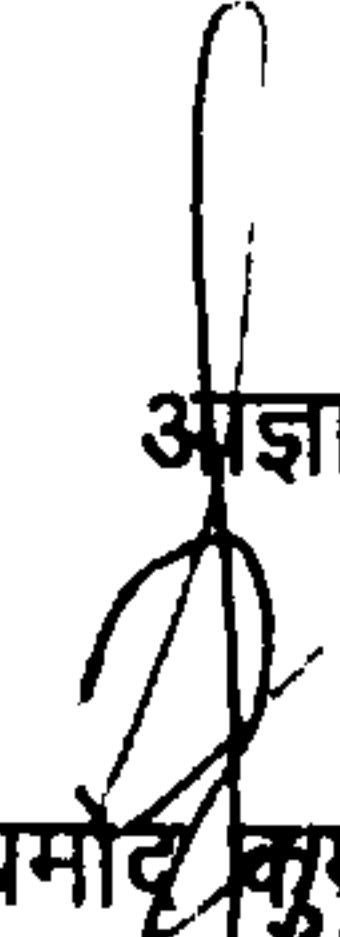
5. उपयुक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
6. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/-2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :- 400 -अ०प्र०-07 / पाकालि / 2015 / तददिनांक (07.02.2015)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / निदेशक (वितरण) / निदेशक(वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारिषद-प्रथम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 8/110 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
9. उपसचिव (अ०प्र०-04) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (Website) उ०प्र० पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी, (अ०प्र०-04) / गोपन अनुभाग, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से,

 (प्रमोद कुमार सिंह)
 उप सचिव